# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

## हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

**शिमला, मंगलवार, 23 जून, 2009/2 आषाढ़, 1931**


**हिमाचल प्रदेश सरकार**

**वहुद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग**

अधिसूचनाएं

12 जून, 2009

**संख्या विद्युत.—छ—(5)—11/2007.**——यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि पब्बर वैली पावर कारपोरेशन लिमिटेड जो कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा—3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतू नामतः उप मुहाल राजकोट, तहसील जुब्बल जिला शिमला, हि0 प्र0 में सावड़ा कुडू जल विद्युत परियोजना के सड़क, सर्जशाफट एवं डम्पिंग यार्ड के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी

अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा–6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतु घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा–7 के उपबन्धों के अधीन भू अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम, उत्तम भवन, शिमला–4, हिमाचल प्रदेश को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है।

3. इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा–17 की उप धारा–1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निर्देश देते है कि अतिआवश्यक मामला होने के कारण भूमि अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम, उत्तम भवन, शिमला–4, हि0 प्र0 उक्त अधिनियम की धारा–9 की उप धारा–1 के अधीन नोटिस के प्रकाशन के 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व भूमि का कब्जा ले सकते हैं।

4. भूमि के रेखांक का निरीक्षण भू–अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम, उत्तम भवन, नजदीक सुरंग नं0–103 शिमला–4 के कार्यालय में किया जा सकता है।

**विवरणी**

| जिला | तहसील | गांव | खसरा नम्बर | रकवा (हैक्टेयर में) |
|---|---|---|---|---|
| शिमला | जुब्बल | राजकोट | 131 | 00–42–97 |
| | | | 132 | 00–31–98 |
| | | | 133 | 00–18–63 |
| | | | 217 | 00–12–12 |
| | | | 48 | 00–02–92 |
| | | | 116 | 00–06–75 |
| | | | 118 | 00–02–36 |
| | | | 120 | 00–03–43 |
| | | | 113 | 00–00–72 |
| | | | 114 | 00–00–86 |
| | | | 115 | 00–07–27 |
| | | | 230 | 00–39–82 |
| | | | 231 | 00–04–78 |
| | | | 232 | 00–00–90 |
| | | | 233 | 00–15–24 |
| | | | कुल कित्ता–15 | कुल रकबा–01–90–75 हैक्टेयर |

20 जून, 2009

**संख्या विद्युत.–छ–(5)–19/2009.**—–यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि मैसर्ज एवरेस्ट पावर प्रा0 लि0, भूमिया एस्टेट, नव बहार रोड, शिमला–2, (हि. प्र.) जो कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा–3 के खण्ड (ई.) के अन्तर्गत एक कम्पनी है के द्वारा अपने व्यय पर कम्पनी के प्रयोजन हेतू नामतः मुहाल फाटी शिलीहार कोठी कोटकण्डी, तहसील व जिला कुल्लू में मलाणा–II जल विद्युत परियोजना के सब स्टेशन व सम्पर्क सडक् के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू–अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा–4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. अत्यधिक आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उक्त अधिनियम की धारा–17 की उपधारा (4) के अधीन यह भी निर्देश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा–5 ए के उपबन्ध इस मामले में लागू नहीं होंगे।

5. भूमि का रेखांक भू अर्जन समाहर्ता–एवं–उप मण्डलाधिकारी (नागरिक), कुल्लू जिला कुल्लू, (हि. प्र.) के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है ।

**विवरणी**

| जिला | तहसील | गांव | खसरा नम्बर | रकवा (बीघों में) |
|---|---|---|---|---|
| कुल्लू | कुल्लू | फाटी शिलीहार | 3451/1 | 0–3–16 |
| | | कोठी कोटकण्डी | 3452/1 | 0–2–16 |
| | | | 3453/1 | 0–1–12 |
| | | | 3454/1 | 0–8–8 |
| | | | 3455 | 0–6–0 |
| | | | 3456/1 | 0–11–18 |
| | | | 3457/1 | 0–15–6 |
| | | | 3458/1 | 0–8–2 |
| | | | 3459/1 | 0–0–6 |
| | | | 3479/1 | 0–6–16 |
| | | | 3488/1 | 0–18–2 |
| | | | 3488/2 | 0–9–0 |
| | | | 3490/1 | 0–4–10 |
| | | | 3491 | 0–16–0 |
| | | | 3492/1/1 | 1–0–13 |
| | | | 3492/2/1 | 0–18–11 |
| | | | 3384/1 | 0–5–6 |
| | | | 3385/1 | 0–8–16 |
| | | | 3468/1 | 0–5–5 |
| | | | 3471/1 | 0–3–5 |
| | | | 3472/1 | 0–4–5 |
| | | | 3476/1 | 0–2–5 |
| | | | 3482/1 | 0–2–9 |
| | | | 3483/1 | 0–3–14 |
| | | | 3377/1 | 0–8–12 |
| | | | किताः 25 कुल रकवा | **9–15–13** बीघा |

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/–
प्रधान सचिव।

शिमला–2, ..................................................

**संख्या विद्युत.–छ–(5)–34/2006.—यतः** हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि मैसर्ज एवरेस्ट पावर प्रा0 लि0, भूमिया एस्टेट, नव बहार रोड़, शिमला–2, (हि. प्र.) जो कि भमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा–3 के खण्ड (ई.) के अन्तर्गत एक कम्पनी है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मुहाल फाटी मलाणा कोठी नगर, तहसील व जिला कुल्लू में मलाणा–II जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा–6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों के लिए यह घोषणा की जाती है और भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा–7 के उपबन्धों के अधीन भू अर्जन समाहर्ता–एवं–उप मण्डलाधिकारी (नागरिक), कुल्लू, जिला कुल्लू, (हि. प्र.) को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है ।

3. भूमि का रेखांक भू अर्जन समाहर्ता–एवं–उप मण्डलाधिकारी (नागरिक), कुल्लू जिला कुल्लू, (हि. प्र.) के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है ।

**विवरणी**

| जिला | तहसील | गांव | खसरा नम्बर | रकवा (बीघों में) |
|---|---|---|---|---|
| कुल्लू | कुल्लू | फाटी मलाणा कोठी नगर | 631/1 | 0–1–4 |
| | | | 634/1 | 0–1–4 |
| | | | 698/1 | 0–1–4 |
| | | | किताः 3 | कुल रकवा **0–3–12** बीघा |

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/–
अतिरिक्त मुख्य सचिव।

————————

2 जून, 2009

**संख्या विद्युत.–छ–(5)–35/2008.**—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड जो कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा–3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतू नामतः मुहाल थाना खेगुवा, तहसील रैणुका जी, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 में रेणुका बांध के निर्माण व इसके जलमग्न क्षेत्र हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएवः एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू–अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा–4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. अत्यधिक आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उक्त अधिनियम की धारा–17 की उपधारा (4) के अधीन यह भी निर्देश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा–5 ए के उपबन्ध इस मामले में लागू नहीं होंगे।

5. भूमि से सम्बन्धित रेखांक का निरीक्षण, कार्यालय भू–अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम, उत्तम भवन, शिमला–4, जिला शिमला, हि0 प्र0 में किया जा सकता है।

## विवरणी

| जिला | तहसील | गांव | खसरा | नम्बर रकवा (बीघों में) |
|---|---|---|---|---|
| सिरमौर | रैणुका जी | थाना खेगुवा | 124 | 14–9 |
| | | | 125 | 5–3 |
| | | | 128/1 | 31–17 |
| | | | 208/160 | 14–4 |
| | | | 165 | 82–7 |
| | | | 44/1 | 6–12 |
| | | | 45 | 5–16 |
| | | | 223/46 | 29–10 |
| | | | कुल कित्ता–8 | कुल रकबा 219–18 बीघा |

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/–
प्रधान सचिव।

---

## आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना

शिमला–171002, 20 जून, 2009

**संख्या ई0एक्स0एन0–एफ(10)–1/2006–1.**—–हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 12) से संलग्न अनुसूची "क" के भाग–2 में संशोधन हेतु प्रारुप को उपर्युक्त अधिनियम की धारा 10 के अनुसरण में इससे सम्भाव्य प्रभावित होने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों के आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए, सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं0 ई0एक्स0एन0–एफ(10)–1/2006–1 तारीख 14 मई, 2009 द्वारा, राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) तारीख 16 मई, 2009 में प्रकाशित किया गया था;

और नियत अवधि के भीतर इस बाबत कुछ आक्षेप/सुझाव गैर मार्का कपड़े धोने के साबुन के संबंध में प्राप्त हुए हैं, जिनका अलग से परीक्षण किया जा रहा है ।

अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपर्युक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची "क" (जिसे इसमें इसके पश्चात "उक्त अनुसूची" कहा गया है) के भाग–2 में निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात् :—–

**संशोधन**

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम 2005 (2005 का अधिनियम संख्याक 12) से संलग्न अनुसूचि "क" के भाग–2 में,––

(i) after existing items No. 23, 28 and 75 the following items 23-A, 28-A and, 75-A respectively shall be inserted, namely:—

| | |
|---|---|
| **"23-A.** | **Compressed Fluorescent Light.".** |
| **"28-A.** | **Desi Ghee.".** |
| **"75-A.** | **Pre-engineered steel building and steel components thereof including Puff panels."** |

(ii) for the existing item No. 85, the following shall be substituted, namely:—

**"85. Sales of goods (other then those goods specified in Schedule 'D') made to Government of Himachal Pradesh, subject to furnishing of the certificate in form 'D' appended at the end of this Part."; and**

(iii) after existing Note, the following certificate in form 'D' shall be inserted, namely:—

**"Certificate in Form 'D' "**

(To be used when making purchases by the Government of Himachal Pradesh not being a registered dealer).

**Original/Duplicate**

Name of issuing Department.........................................................................................................

Name and address of office of issue..............................................................................................

To

…………………………...........................................................................................……………..

(Seller)……………..........................................................................................................……………

Certified that the goods ordered for in our purchase Order No……………………............................

Dated……………………………............................................................................………………

Purchased from you as per bill/cash memo stated below :

…………………………………………….....................................................................…………..

supplied under your challan No………….....................................................................……………..

Dated……………………………............................................................................……………….

are purchased by or on behalf of the department of :
……………………………………………...........................................................................……..
……………………………………………...........................................................................……..

Signature……………………………………………

Date: designation of the authorized officer of the Department............................................................

Seal of the authorized officer of the Department...................................................................................

Name and complete address of the seller..........................................................................................

Together with his registration certificate number..................................................................................

Particulars of Bills/Cash memo.........................................................................................................

Dated……………………………………………..............................................................................

Amount……………….......................................................................................………………………….

(*Note*: to be furnished by the selling dealer)

Authorized officer means an officer authorized to make a purchase on behalf of the Government.”........................................................................................................................

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/–
प्रधान सचिव।

————————

[*Authoritative English Text of this Department Notification No. EXN-F(*10*)*-1/2006-I*, dated* 20-6-2009 *as required under Clause(*3*) of Article* 348 *of the Constitution of India*].

**EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT**

NOTIFICATION

*Shimla*-171002, 20*th June*, 2009

**File No. EXN- F(10)-1/2006 –I.—**Whereas the draft amendment in Part-II of Schedule-A appended to the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 12 of 2005) was issued by the Government *vide* notification No. EXN-F(10)-1/2006-I, dated 14th May 2009 published in Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra-ordinary) on 16th May 2009 in pursuance of the provisions of section 10 of the aforesaid Act for inviting objections and suggestions from the person(s) likely to be affected thereby.

And whereas some objections/suggestions have been received in respect of “Unbranded washing soap” within stipulated period which are being examined separately.

Now, therefore in exercise of the powers conferred by section 10 of the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 12 of 2005), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following amendment in Part-II of Schedule-A appended to the aforesaid Act (hereinafter called the said Schedule) namely:—

**AMENDMENTS**

In PART-II of the Schedule 'A', appended to the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 12 of 2005),—

(i) after existing items No. 23, 28 and 75 the following items 23-A, 28-A and, 75-A respectively shall be inserted, namely:—

| | |
|---|---|
| **"23-A.** | **Compressed Fluorescent Light.".** |
| **"28-A.** | **Desi Ghee.".** |
| **"75-A.** | **Pre-engineered steel building and steel components thereof including Puff panels."** |

(ii) for the existing item No. 85, the following shall be substituted, namely:—

**"85. Sales of goods (other then those goods specified in Schedule 'D') made to Government of Himachal Pradesh, subject to furnishing of the certificate in form 'D' appended at the end of this Part."; and**

(iii) after existing Note, the following certificate in form 'D' shall be inserted, namely:—

**"Certificate in Form 'D' "**

(To be used when making purchases by the Government of Himachal Pradesh not being a registered dealer).

**Original/Duplicate**

Name of issuing Department.........................................................................................................

Name and address of office of issue...............................................................................................

To

……………………...........................................................................................................…………..

(Seller)…………...........................................................................................................……………

Certified that the goods ordered for in our purchase Order No……………………..........................

Dated……………………………….........................................................................................………………

Purchased from you as per bill/cash memo stated below :

…………………………………………….........................................................................………..

supplied under your challan No……….........................................................................……………..

Dated…………………………….............................................................................................………………..

are purchased by or on behalf of the department of :

……………………………………………….....................................................................................…..

……………………………………………..........................................................................................…….

Signature……………………………………….

Date: designation of the authorized officer of the Department............................................................

Seal of the authorized officer of the Department...................................................................................

Name and complete address of the seller...........................................................................................

Together with his registration certificate number...................................................................................

Particulars of Bills/Cash memo..........................................................................................................

Dated…………………………………….......................................................................................

Amount……………….......................................................................................…………………………

(*Note*: to be furnished by the selling dealer)

Authorized officer means an officer authorized to make a purchase on behalf of the Government.”..........................................................................................................................................

By order,
Sd/-
*Principal Secretary.*

---

## आयुर्वेद विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 15 जून, 2009

**संख्या आयु0–ख (15)–1/99.**––हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी विभाग में उपमण्डलीय आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी वर्ग–I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2000 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, आर्थात् :––

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**––(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी विभाग, उपमण्डलीय आयुर्वेदिक अधिकारी, वर्ग–I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (द्वितीय संशोधन) नियम, 2009 है ।

(1) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत होंगे ।

2. **उपाबन्ध–'क' का संशोधन.**––हिमाचल प्रदेश भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी विभाग, उपमण्डलीय आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी वर्ग–I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2000 के उपाबन्ध 'क' में स्तम्भ संख्या 11 के सामने विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :––

आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारि0यों में से प्रोन्नति द्वारा जिनका दस वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा यदि कोई हो, करके दस वर्ष का नियमित सेवाकाल हो।

परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगी;

परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक (1) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा जिनकी अधिवर्षिता के लिए पाचं वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हो;

परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों को, जिन्हानें जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा।

**स्पष्टीकरण–I.**—उपर्युक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में "कार्यकाल" से साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अपेक्षाओं और कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी ।

**स्पष्टीकरण–I.**—उपर्युक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगे :––

1. जिला लाहौल एवं स्पिति।
2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप मण्डल।
3. रोहड़ू उप मण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र।
4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनीष, दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट।
5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना।
6. कांगड़ा जिला के बैजनाथ उप मण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र।
7. जिला किन्नौर।
8. सिरमौर जिला में उप तहसील कमरउ के काठवाड. और कोरगा पटवार वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड़–भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त।
9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खन्योल–बगड़ा पटवार वृत्त, बाली चौकी उप तहसील के गाडा गोसाईं, मठयानी, घनयाड़, थाची, बागी, सोमगाड़ और खोलानाल, पद्धर तहसील के झारवाड़, कुटगढ़, ग्रामन, देवगढ़, ट्रैला, रोपा, कथोग, सिल्ह–भड़वानी, हस्तपुर, घमरेड़ और भटेढ़ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील के चियूणी, कालीपार, मानगढ, थाच–बगडा़ उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत्त और सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत्त।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी;

परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण बिचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने–अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएगें और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे;

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए बिचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अहर्ता सेवा या पद के भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी;

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धित बिचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझें जाएंगे ।

**स्पष्टीकरण.**—अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जायेगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डेमोवीलााईज्ड आर्मड फोर्सिस परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ बैकेंसीज इन हिमाचल स्टेट नान टैक्नीकल सर्विस) रूल्स, 1972 के नियम–3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स–सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ बैकेंसीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विस) रूल्स, 1985 के नियम–3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरियाता लाभ दिए गए हों ।

(2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति की सम्भरक पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी ;

परन्तु उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थाईकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी ।

आदेश द्वारा,<br>
हस्ताक्षरित/–<br>
प्रधान सचिव।

————————

[*Authoritative English Text of this Government Notification No.Ayur.Kha*(15)-1/99 *dated* 15-06-2009 *as required under clause*(3) *of Article* 348 *of Constitution of India*.]

**AYURVEDA DEPARTMENT**

NOTIFICATION

Shimla-2, *the* 15*th June*, 2009

**No. Ayur.Kha (15)-1/99.**—In exercise of powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following rules to further amend the Himachal Pradesh Department of Indian System of Medicine and Homeopathy, Sub-Divisional Ayurvedic Medical Officer Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2000 namely :—

**1.** *Short Title and Commencement.*—(1) These rules may be called, the Himachal Pradesh Department of Indian System of Medicine and Homeopathy, Sub-Divisional Ayurvedic Medical Officer (Class-I-Gazetted) (Second Amendment) Rules, 2009;

(2) These rules shall come into force from the date of publication in Rajpatra, Himachal Pradesh.

**2.** *Amendment in Annexure-"A".*—In Annexure-'A' of the Himachal Pradesh Department of Indian System Of Medicine and Homeopathy, Sub-Divisional Ayurvedic Medical Officer Class-I (Gazetted) Recruit ment and Promotion Rules, 2000;

For the existing provision against Column-11, the following shall be substituted, namely :

By promotion from amongst the Ayurvedic Medical Officers, who Possess ten years regular service or Regular combined with continuous Adhoc service, if any, in the grade;

Provided that for the purpose of Promotion, every employee shall have to serve atleast one term in the Tribal/Difficult areas subject to adequate number of post(s) available in such areas:

Provided further that the Proviso (1) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation.

Provided further that officers/officials who have not served atleast one tenure in Tribal/difficult area shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.

**Explanation-I.—**For the purpose of proviso-1 supra the "Term" in Tribal/Difficult areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative requirements and performance of the employee.

**Explanation-II.—**For the purpose of proviso-1 supra the Tribal/Difficult areas shall be as under :—

1. District Lahaul & Spiti

2. Pangi and Bharmour Sub-Division of Chamba District.

3. Dodra-Kawar area of Rohru Sub- Division.

4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram Panchayat Kashapat, Gram Panchayat of Rampur, Tehsil of Distt.Shimla.

5. Pandrah Bis Pargana of Kullu Distt.

6. Bara-Bangal areas of Baijnath Sub-Division of Kangra District.

7. District Kinnaur.

8. Kathwar and Korga Patwar circles of Kamrau Sub-Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circle of Renukji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil in Sirmour District.

9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada-Gussaini, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali-Chowki Sub-Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Silh-Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar patwar Circle of Pathar Tehsil Chiuni Kalipar, Mangarh, Thach-Bagra, North Mogru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sundernagar Tehsil.

(1) In all such cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as precribed in these Rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules, provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including) the service rendered on *adhoc* basis in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and place the junior person in the field of consideration :

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the R&P Rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to, him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion,

**Explanation.—**The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happended to be Ex-servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of Demoblised Armed Forces Personnel (Reservation of vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereuner or recruited under the provisions of Rules-3 of Ex-servicemen (Reservation Rules), 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

(2) Similarly, in all cases of confirmation, adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service, if the *adhoc* appointment/promotion against such post had been made after proper selection, and in accordance with the provisions of the R&P Rules :

Provided that inter-*se*-seniority as a result of confirmation after taking into account, *adhoc* service rendered as referred to above shall remain unchanged.

By order,<br>Sd/-<br>*Pr. Secretary.*

---

**उद्योग विभाग**

अधिसूचना

शिमला–2, ..............................

**संख्या इण्ड–II (एफ) 6–44/2007–लूज.**——यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार, कम्पनी के व्यय पर कम्पनी के प्रयोजन हेतु नामतः गांव भलग, तहसील अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश में जे0 पी0 हिमाचल सीमेन्ट प्रोजेक्ट, द्वारा खनन कार्य व सेफटी जोन हेतू भूमि अर्जित करना अपेक्षित है, अतः एवं एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में, जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. इस सम्बन्ध में ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू–अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत अधिसूचना दिनांक 25–07–2008 को जारी की जा चुकी है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने, सर्वेक्षण करने और उक्त धारा द्वारा अपेक्षित या अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. अत्याधिक आवश्यकता के दृष्टिगत राज्यपाल हि0 प्र0 उक्त अधिनियम की धारा 17 (4) के अधीन यह भी निर्देश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा 5(ए) के उपबन्ध इस मामले में लागू नहीं होंगे।

**विवरणी**

| जिला | तहसील | गांव | खसरा नं0 | क्षेत्र | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | बीघा | बिस्वा |
| सोलन | अर्की | भलग | 229 / 62 | 0 | 2 |
| | | | 99 | 1 | 14 |
| | | | 287 / 100 | 3 | 8 |
| | | | 288 / 100 | 3 | 10 |
| | | | 101 | 9 | 7 |
| | | | 106 | 1 | 3 |
| | | | 107 | 1 | 3 |
| | | | 108 | 0 | 15 |
| | | | 109 | 0 | 12 |
| | | | 110 | 0 | 9 |
| | | | 111 | 0 | 11 |
| | | | 112 | 0 | 11 |
| | | | 113 | 0 | 3 |
| | | | 114 | 0 | 2 |
| | | | 115 | 0 | 2 |
| | | | 116 | 0 | 3 |
| | | | 117 | 0 | 3 |
| | | | 118 | 1 | 6 |
| | | | 119 | 0 | 7 |
| | | | 120 | 1 | 6 |
| | | | 223 / 121 | 1 | 11 |
| | | | 224 / 121 | 2 | 15 |
| | | | 122 | 0 | 3 |
| | | | 123 | 0 | 4 |
| | | | 124 | 3 | 12 |
| | | | 126 | 0 | 19 |
| | | | 127 | 0 | 14 |
| | | | 128 | 0 | 17 |
| | | | 129 | 0 | 4 |
| | | | 130 | 1 | 2 |
| | | | 131 | 0 | 9 |
| | | | 132 | 0 | 11 |
| | | | 133 | 0 | 2 |

| | | |
|---|---|---|
| 134 | 0 | 8 |
| 135 | 1 | 2 |
| 136 | 0 | 3 |
| 137 | 0 | 4 |
| 138 | 0 | 17 |
| 139 | 0 | 15 |
| 141 | 0 | 10 |
| 142 | 0 | 11 |
| 143 | 0 | 19 |
| 144 | 0 | 14 |
| 145 | 0 | 5 |
| 146 | 0 | 7 |
| 147 | 0 | 7 |
| 148 | 0 | 4 |
| 149 | 0 | 12 |
| 150 | 0 | 12 |
| 151 | 0 | 14 |
| 152 | 0 | 15 |
| 153 | 0 | 8 |
| 154 | 0 | 11 |
| 155 | 0 | 2 |
| 156 | 0 | 1 |
| 157 | 0 | 9 |
| 158 | 0 | 2 |
| 159 | 2 | 0 |
| 161 | 0 | 3 |
| 162 | 0 | 10 |
| 163 | 0 | 1 |
| 164 | 0 | 2 |
| 165 | 0 | 3 |
| 166 | 0 | 1 |
| 167 | 0 | 4 |
| 168 | 0 | 1 |
| 169 | 0 | 5 |
| 170 | 0 | 4 |
| 171 | 0 | 3 |
| 172 | 0 | 3 |
| 173 | 0 | 7 |
| 188 | 0 | 17 |
| किता—72 | 56 | 16 |

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/—
प्रधान सचिव।

## लोक निर्माण विभाग

अधिसूचनाएं

शिमला–2, 19 फरवरी, 2009

**सं0 पी0बी0डब्ल्यू0 (बी0)एफ0–(5)148/2008.**––यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गांव सरोग टिक्कर, तहसील नाहन, जिला सिरमौर में नाहन कुमारहट्टी सड़क को चौड़ा करने हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अत्एव एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह घोषणा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा–6 के उपबन्धों के अधीन इसस सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन भू–अर्जन समाहर्ता, उप–मण्डलाधिकारी (नागरिक) राजगढ़ को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद् द्वारा निदेश दिया जाता है।

3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू–अर्जन समाहर्ता, उप–मण्डलाधिकारी (नागरिक) राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

**विवरणी**

| जिला | तहसील | गांव | खसरा नम्बर | क्षेत्र (बीघा–विस्वा) |
|---|---|---|---|---|
| सिरमौर | नाहन | सरोग टिक्कर | 425/359/283/1 | 0–03 |
| | | | 379/307/1 | 0–02 |
| | | | 380/317 | 0–01 |
| | | | 396/318/1 | 0–02 |
| | | | 396/318/2 | 0–01 |
| | | | 388/322/1 | 0–01 |
| | | | कुल जोड़ किता–6 | 0–10 |

शिमला–2, 19 जून, 2009

**सं0 पी0बी0डब्ल्यू0 (बी0)एफ0–(5)188/2008.**––यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गांव चवाहॅा, तहसील नाहन, जिला सिरमौर में नाहन कुमारहट्टी सड़क को चौड़ा करने हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अत्एव एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह घोषणा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा–6 के उपबन्धों के अधीन इसस सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन भू–अर्जन समाहर्ता, उप–मण्डलाधिकारी (नागरिक) राजगढ़ को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्द्वारा निदेश दिया जाता है।

3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू–अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग विन्टर फील्ड शिमला के कार्यालय में किया जा सकता है।

**विवरणी**

| जिला | तहसील | गांव | खसरा नम्बर | क्षेत्र (बीघा–विस्वा) |
|---|---|---|---|---|
| सिरमौर | नाहन | चवाहॅा | 543/506/1 | 0–9 |
| | | | किता–1 | 0–9 |

शिमला–2, 19 जून, 2009

**सं0 पी0बी0डब्ल्यू0 (बी0)एफ0–(5)62/2009.**––यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव वनाल, उप–तहसील

धर्मपुर, जिला मण्डी मे राष्ट्रीय उच्च मार्ग–70 को चौड़ा करने हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा–4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर भू–अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, मण्डी, के समक्ष लिखित आपत्ति दायर कर सकता है।

**विवरणी**

| जिला | उप–तहसील | गांव | खसरा नम्बर | क्षेत्र (हैक्टेयर में) |
|---|---|---|---|---|
| मण्डी | धर्मपुर | वनाल | 1274 / 1 | 00—05—10 |
| | | | 1275 / 1 | 00—00—78 |
| | | | 2293 / 1284 | 00—00—45 |
| | | | 2294 / 1284 | 00—13—80 |
| | | | 2295 / 1284 | 00—02—37 |
| | | | कुल जोड़ किता—5 | 00—22—50 |

शिमला–2, 19 जून, 2009

**सं0 पी0बी0डब्ल्यू0 (बी0)ए0–(7)1–44 / 2009.**——यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव लुहाखर, तहसील सदर, जिला मण्डी मे कपाही पलाही वाया झोर सड़क के निर्माण करने हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा–4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर भू–अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, मण्डी, के समक्ष लिखित आपत्ति दायर कर सकता है।

**विवरणी**

| जिला | उप–तहसील | गांव | खसरा नम्बर | क्षेत्र (बीघा–विस्वा में) |
|---|---|---|---|---|
| मण्डी | सदर | लुहाखर | 720 | 0–10–2 |
| | | | कुल जोड़ किता–1 | 0–10–2 |

अधिसूचना

शिमला–2, 22 जून, 2009

**संख्या पी.बी.डब्लयू. (बी)एफ(5) 75 / 2009.**——यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव जैस, तहसील ठियोग,

जिला शिमला में ठियोग–कोटखाई–हाटकोटी सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू–अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा–4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू–अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, (द0 क्षेत्र) शिमला के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

## विवरणी

| जिला | तहसील | गांव | खसरा नम्बर | क्षेत्र (है0) में |
|---|---|---|---|---|
| शिमला | ठियोग | जैस | 776 | 0–27–15 |
| | | | 912 | 0–49–80 |
| | | | 672 | 0–12–76 |
| | | | 762 | 0–00–63 |
| | | | 763 | 0–01–40 |
| | | | 768 | 0–04–12 |
| | | | 769 | 0–04–52 |
| | | | 771 | 0–00–15 |
| | | | 772 | 0–00–50 |
| | | | 773 | 0–17–01 |
| | | | 787 | 0–06–98 |
| | | | कुल किता–11 | 1–25–02 |

शिमला–2, 16 जून, 2009

## शुद्धि पत्र

**सं0 पी0बी0डब्ल्यू0 बी0एफ(5)53/2008.**––इस विभाग द्वारा जारी की गई समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 30–06–2008 (गांव बलाणा, उप तहसील सियुन्ता जिला चम्बा में द्रमण–सियुंता सड़क हेतु धारा–4 भू–अर्जन अधिसूचना) में तहसील सियुन्ता के स्थान पर ''उप तहसील सियुन्ता'' व रकवा हैक्टर के स्थान पर ''बीघा–विस्वा'' पढ़ा जाये।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/–
प्रधान सचिव।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित